संख्या:82/2024/1023/2024/1440478/12-2099/161/2021

प्रेषक

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकार उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 05 अक्टूबर 2024**

विषयः. फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकी विधि से कराये जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा निर्मित सी०सी०ई०एग्री० (Crop Cutting Experiment|एवं जी०सी०ई०एस० (General Crop Estimation Survey) ऐप के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

फसलों के उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के सही-सही सम्पादन से ही उपज के सही अनुमान आंकलित किये जा सकेंगे। यहाँ यह उल्लेख करना प्रांसगिक है कि फसलों के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। बीमित कृषकों के क्षतिपूर्ति का आंकलन करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु सी०सी०ई०एग्री० एवं जी०सी०ई०एस० ऐप निर्मित किया गया है।

2. योजनान्तर्गत बीमित कृषकों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण सांख्यिकीय विधि से राजस्व कार्मिकों के द्वारा सम्पादित कराए गए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त उपज के अनुमानों के अनुसार किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत स्तर को इकाई मानते हुए कराने के कारण वर्तमान समय में आयोजित होने वाले फसल कटाई प्रयोगों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई है, जिसके कारण यह आवश्यक कि फसल कटाई प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु इनके सम्पादन हेतु पूर्व से प्रचलित सांख्यिकीय विधि के साथ ही साथ तकनीक का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा निर्मित सी०सी०ई०एग्री० ऐप द्वारा शत-प्रतिशत सम्पादन सुनिश्चित किया जाये।

3. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्देशानुसार फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकलन हेतु तथा प्रदेश एवं भारत सरकार द्वारा अपने खाद्य नीति के निर्धारण हेतु जी०सी०ई०एस० ऐप विकसित किया गया है, जिसका नियोजन जनपदों द्वारा किया जा चुका है। उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकलन हेतु क्राप कटिंग प्रयोगों का शत-प्रतिशत सम्पादन भारत सरकार द्वारा निर्मित जी०सी०ई०एस० ऐप से कराना सुनिश्चित किया जाये।

4. क्राप कटिंग प्रयोगों के सम्पादन हेतु रू० 260 /-प्रति प्रयोग दिया जाता है, जिसमें रू० 80/- लेखपाल को मानदेय तथा रू० 80/- मजदूरी के रूप में मजदूर को एवं रू0 100/- सम्बन्धित कृषक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. क्राप कटिंग प्रयोगों के निरीक्षण हेतु, जनपद स्तर पर कार्यरत कृषि विभाग के समस्त अधिकारी एवं टी०ए०सी० तथा राजस्व विभाग एवं विकास विभाग के समस्त अधिकारियों को अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी के स्तर से नामित किया जायेगा ।

6. अनिवार्य निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों की निगरानी एवं समीक्षा हेतु अपर जिलाधिकारी (भूलेख) को नोडल अधिकारी नामित किया जाय तथा क्राप कटिंग प्रयोगों की समाप्ति के उपरान्त नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों से क्राप कटिंग प्रयोगों की रिपोर्ट प्राप्त कर विस्तृत प्रतिवेदन शासन, राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

7. ऐप पर शत-प्रतिशत क्राप कटिंग प्रयोग सम्पादित कराने हेतु यह आवश्यक है कि जनपद के अपर जिलाधिकारी (भूलेख)/भूलेख अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि भारत सरकार द्वारा निर्मित सी०सी०ई०एग्री० एवं जी०सी०ई०एस० ऐप पर समस्त राजस्व कार्मिकों (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों) का प्राइमरी यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए।

8. आंकड़ों की गुणवत्ता एवं सुतथ्यता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक तथा तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी उत्तरदायी होंगें। उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर बैठक/वीडियों कांफ्रेन्सिग के माध्यम से समीक्षा की जाए तथा प्रगति की सूचना राजस्व परिषद एवं शासन को उपलब्ध करायी जाए।

9. इस सम्बकन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त् निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वर्तमान खरीफ 2024 मौसम से फसलों की उत्पादकता के आंकलन हेतु सांख्यिकीय विधि से कराए जाने वाले क्राप कटिंग प्रयोगों को भारत सरकार द्वारा निर्मित सी०सी०ई०एग्री ऐप एवं उत्पादन व उत्पादकता के आंकलन हेतु जी०सी०ई०एस० ऐप के माध्यम से शत-प्रतिशत कराने का कष्ट करें, ताकि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप क्राप कटिंग प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव।

संख्या: 82/2024/1023(1)/2024/1440478/12-2099/161/2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः.

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. श्री रितेश चौहान, संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमएफबीवाई, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।
5. श्रीमती रूचिका गुप्ता, सलाहकार, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
7. निदेशक कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

रविन्द्र

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।